Supply of drinking water to rural areas

1767. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have been providing funds to States under the Accelerated Rural Water Supply Programme;

(b) if so, what was the amount granted under this programme to Rajasthan, Maharashtra and Karnataka during the year 1985-86;

(c) whether some members of the Planning Commission visited Maharashtra to consider steps to augment the water supply; and

(d) if so, what are the results of visits?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI RAMANAND YADAV): (a) Yes, Sir.

(b) Funds released under Accelerated Rural Water Supply Programme (ARWSP) during 1985-86 to Rajasthan, Maharashtra and Karnataka are as under:

	(Rs. in lakhs)
Rajasthan	2732.00
Maharashtra	1844.88
Karnataka	1561.29

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए छात्रावास बनाने के लिए राज्यों को धन का दिया जाना

1768. **श्री राधाकिशन मालवीय**: क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिये छात्रावास बनाने के लिए विभिन्न राज्यों को धनराशि प्रदान करती है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्षवार तथा राज्य वार इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि प्रदान की गयी।

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री निरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकारों को, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास के भवन निर्माण हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत समतुल्य अनुदान के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन छात्रावासों का रखरखाव संबंधी खर्च राज्य सरकारों द्वारा स्वयं वहन किया जाता है। इस योजना के लिए वर्ष 1985-86 के दौरान राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को दी गई केन्द्रीय सहायता संलग्न विवरण में दी गई है। (नीचे देखिए) इस प्रयोजन के लिए वर्ष 1986-87 के दौरान 4.55 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लड़कों के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत ऐसी कोई योजना नहीं है।

विवरण

1985--86 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत दी गई राज्य वार केन्द्रीय सहायता

(रु० लाखों में)

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशो का नाम	दी गई केन्द्रीय सहायता
1	आंध्र प्रदेश	164.51
2	असम	5.522
3	बिहार	7.97
4	गुजरात	1.955
5	हरियाणा	—
6	हिमाचल प्रदेश	—
7	कर्नाटक	23.3315
8	केरल	0 52
9	जम्मू और कश्मीर	—
10	मध्य प्रदेश	38.1825
11	महाराष्ट्र	—
12	मणिपुर	0.7342
13	मेघालय	—
14	नागालेंड	—
15	उड़ीसा	19.0985
16	पंजाब	—
17	राजस्थान	7.79
18	तमिलनाडु	11.3405
19	त्रिपुरा	0.6425
20	सिक्किम	—
21	उत्तर प्रदेश	—
22	पश्चिम बंगाल	10.81
23	दादरा और नगर हवेली	5.00
24	अरुणाचल प्रदेश	5.00
	जोड़ :	302.4067